प्रेस नोट

थाना - गढ़मुक्तेश्वर **दिनांक 18-05-2023**

- **थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने थाना क्षेत्रांर्तगत 03 दिन पूर्व हुई बंदरो की मृत्यु की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों ने गन्ने की फसल में नुकसान से क्षुब्ध होकर गुड में दीमक की दवाई मिलाकर बंदरों की मृत्यु की घटना कारित की थी।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.05.2023 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि झडीना की तरफ जाने वाली नहर की पटरी पर वन विभाग की जमीन पर पेडो में कुछ बन्दर मृत पडे हुए है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौके पर जाकर देखा तो करीब 19 बन्दर मृत पडे मिले जिनके पास ही एक अखबार के टुकडे पर कुछ गुड रखा हुआ मिला, आस-पास चैक करने पर अन्य 07 बंदरों के शव मिले। तत्काल वन विभाग की टीम एवं पशु चिकित्सको की टीम को मौके पर बुलवाकर बन्दरो के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0-221/2023 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व धारा 429 भादवि पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांर्तगत 03 दिन पूर्व हुई बंदरो की मृत्यु की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक खाली पैकेट फैराडोन (दीमक मारने की दवाई) बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थानः- मध्य गंगा नहर पर दौताई की ओर जाने वाली पुलिया ग्राम शाहपुर चौधरी से, दिनांक **18.05.23** समय करीब **13.00** बजे

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कपिल चौहान व लाला उर्फ रोहताश की 3-3 बीघा गन्ने की खेती घटनास्थल के पास स्थित है, जोकि बुवाई के तुरन्त बाद ही बन्दरो ने गन्ना निकालकर खाकर बर्बाद कर दी थी तथा पिछले कई वर्षो से बन्दरो द्वारा उनके खेतों में निरन्तर नुकसान किया जा रहा था। भगाने पर बन्दर काटने को दौडते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों द्वारा दिनांक 13.05.2023 को खाद भण्डार मैडिकल स्टोर कस्बा गढमुक्तेश्वर से एक किलो फैराडोन दीमक की दवाई खरीदी थी तथा दिनांक 14.05.2023 को बांकेलाल की दुकान से दो किलो गुड खरीदा और दिनांक 15.05.2023 को दोनों अभियुक्तों ने कपिल की टयूबवैल पर गुड में आधा किलो फैराडोन मिलाकर बन्दरो को गुड खाने के लिये रख दिया था। अभियुक्तों ने सोचा था कि दीमक की दवाई से बन्दर बेहोश हो जायेगे तो डर के कारण उस इलाके को छोडकर चले जायेगें।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. कपिल पुत्र चन्दकिरण चौहान निवासी शाहपुर चौधरी थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
2. रोहताश उर्फ लाला पुत्र मेगराज चौहान निवासी शाहपुर चौधरी थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

एक खाली पैकेट फैराडोन (दीमक मारने की दवाई)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सोमवीर सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री विवेक चौहान थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
3. है0का0 673 हासिम अली थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
4. है0का0 162 संजय कुमार थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
5. का0 928 तीरथ सिंह थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
6. है0का0 प्रदीप कुमार सर्विलांस सेल जनपद हापुड।